

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION & FEE

87

Office of the District Sub Registrar.....
Application No. 43..... Date of Application 3.1.2020
Name of Applicant श्री ११३ श्री ११३ श्री ११३.....
Purpose of Application.....
Search for certified copy Docd no. N/C.....
Office of Registration ममम..... Year 2007 to 2019
Fee paid-Searching
fee Rs. 300/-..... Copying Fee Rs. α..... Total Rs. 300/-

Signature of Record Keeper

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं०.....31.....2020

आवेदन संख्या.....05.....2020

चूंकि 11C Housing Finance Ltd. Bhopal ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवभारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

अशोक कुमार शर्मा

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2007.....20.....से ता० 04.01.2020 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>मोहनदा</u>		<u>रकबा -</u>	<u>49</u>				
	<u>मुकुंददा चौक</u>		<u>खेपरा -</u>	<u>56 ख.ग.प.पा.प. 57, 58, 59, 64, 65</u>				
	<u>वाडि रो</u>			<u>66.क.प.प.प.प. 63</u>				
	<u>27</u>	<u>07.01.2020</u>	<u>रकबा -</u>	<u>0.0888 Hecter</u>				
	<u>मोहनदा</u>							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

भिन्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) *चन्द्रबीर सिंह*

(पदनाम) U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) *मनोज कुमार*

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भगलपुर

तारीख :- 07.01.2020



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07/01 07.01.2020

टिप्पणी :-

(1) इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार दिये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेंगी।

(3) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा हुंढे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न हुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक- 3)

दिनांक- 07.01.2020

शाखा प्रबंधक, U.P. Housing Branch पत्र दिनांक 07/01 के आलोक में प्रेषित।
Ud, Bhagalpur

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07/01 07.01.2020

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं०.....32.....2020

आवेदन संख्या.....08.....2020

चूंकि Ue. Hamaing Khamu Ltd. Bpp. ने मेरे पास आवेदन किया है कि मिलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवभारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

विपीन बिशरी सिंह

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2007-20.....से ता० 04.01.2020 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	मोहल्ला		रकबा - 49					
	सुबह-रात		खेपरा - 56 द. 16 का पार्स, 58, 57 का पार्स, 66 द. 1, 5 का पार्स					
	वर्ष 80		रकबा - 4904 89. 68					
	27	07.01.2020						
	मोजाहिरुल							

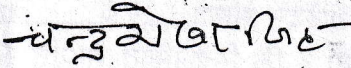
(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

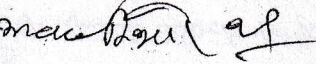
(2)
में यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) 

(पदनाम) U.D.C

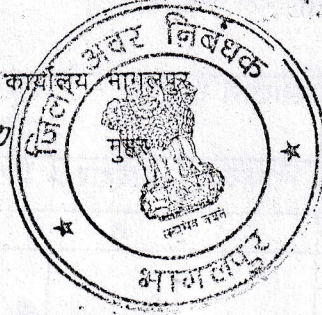
तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) 

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :- 07-01-2020



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07/01 07-01-2020

टिप्पणी :-

(1) इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति गहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की शरकरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर गहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दुंदे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न दुंदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पन्नांक- 32

दिनांक- 07-01-2020

शाखा प्रबंधक M. C. Hensing Sinha दिनांक 07/01 के आलोक में प्रेषित।
Ltd, Bhagalpur

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07/01 07-01-2020

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं०.....29.....20 20

आवेदन संख्या.....06.....20 20

चूंकि Uc Housing Finance Ltd. Bhopal ने मेरे पास आवेदन किया है कि मिलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवभारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें) बिपीन बिशरी सिंह

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2007-20 से ता० 04.01.2020 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम					दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
	मोहल्ला		खाना -	19							
	मुकदमा नौक		खेसरा -	65, 66, 67, 56	ख. व. च. छ का पार्श्व						
	वर्ष 80			58, 59 का पार्श्व							
	27	07.01.2020	खाना -	3456	59 का पार्श्व						
	मोजाहिरा										

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)
में यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

भिन्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) *Omprakash Singh*

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :- 07.01.2020



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07.01.2020

टिप्पणी :-

(1) इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवमार लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति यहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें जलाशी स्वयं करनी होगी। निहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पन्नांक- 29

दिनांक- 07.01.2020

शाखा प्रबंधक *U.C. Housing Branch* दिनांक *07.01.2020* के आलोक में प्रेषित।
Ud, Bhagalpur

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07.01.2020

सम्पत्ति अवमार प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या.....02.....2020

प्रमाण-पत्र सं०.....30.....2020

चूंकि Uc Housing Finance Ltd. Bhopal ने मेरे पास आवेदन किया है कि मिलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवमारों का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

राजेश कुमार शुक्ल

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता० 2007-20 से ता० 01.01.2020 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संव्यवहारों और अवमारों का पता नहीं चला है-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	मोहल्ला		खाला -	59				
	खुदबहा		खोहरा -	65, 66	क. ख. 56 ख. ग. च. छ. 58, 59			
	वाडि 80		का पार्स					
	27	07.01.2020	दस्ता -	64/8 89				
	मोहल्ला/वि३३							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र को दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हों।

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर)

(पदनाम) U.D.C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) *Manoj Kumar*

(पदनाम) U.D.C

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :- 07.01.2020



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07.01.2020

टिप्पणी :-

(1) ☒ इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवधार लिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) ☒ निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति यहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर यहियों और अनुक्रमण उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) ☒ किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(4) ☒ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाश स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक- 30

दिनांक-07.01.2020

शाखा प्रबंधक U.C. Housing Finance के पत्र दिनांक 07.01.2020 के आलोक में प्रेषित।
U.C. Bhagalpur

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
07.01.2020